"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2005—पौष 2, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 (पौष 2, 1927)

क्रमांक- 14541/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005), जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 28 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005

विषय-सूची

खण्ड

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 28 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005

वित्तीय स्थापनाओं में जनता द्वारा किए गए निक्षेपों का संरक्षण करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005" है. *संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.*

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, *परिभाषाएं.*

(क) "मुख्य न्यायाधीश" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

(ख) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य

(ग) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी

(ङ) "निक्षेप" से अभिप्रेत है, निक्षेप जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1 (खख) में परिभाषित किया गया है.

(च) "जमाकर्ता" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कंपनी में निक्षेप करता है, और उसमें जमाकर्ता के वारिस, कानूनी उत्तराधिकारी, प्रशासक या समनुदेशिति शामिल होते हैं.

(छ) "जिला मजिस्ट्रेट" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अधीन जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो.

(ज) "वित्तीय स्थापना" से अभिप्रेत है किसी योजना या किसी समझौते के अधीन या किसी अन्य रीति में निक्षेपों को प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का संघ या कोई फर्म या कोई कम्पनी जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन निगमित हो, किन्तु इसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन निगम या कोई सहकारी सोसायटी या बैंकिंग कंपनी जैसा कि बैंकिंग कंपनी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का सं. 10) की धारा 5 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी में सम्मिलित नहीं है.

(झ) "कपटपूर्ण व्यतिक्रम" से अभिप्रेत है किसी वित्तीय स्थापना द्वारा परिपक्वता पर किसी प्रतिसंदाय का कपटपूर्ण व्यतिक्रम करना और/या ब्याज के रूप में सुविधा, बोनस लाभ या दिए गए वचन के रूप में देय या निक्षेप पर आश्वस्त की गई सुविधाओं को परिपक्वता पर या कपटपूर्ण तरीके से विफल होती है.

(ञ) "विशेष न्यायालय" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित न्यायालय

अधिनियम को किसी अन्य विधि में अल्पीकृत न किया जाना.

3\. अधिनियम के प्रावधान किसी समय में प्रवृत्त विधि के अतिरिक्त होंगे और जिन्हें किसी विधि में अल्पीकृत नहीं किया जाएगा.

विशेष न्यायालय.

4\. (एक) राज्य सरकार, मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्रित अधिसूचना द्वारा इतने विशेष न्यायालय अधिसूचित कर सकेगी जितने की इस अधिनियम के अधीन मामले के विचारण के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों.

(दो) कोई भी व्यक्ति तब तक विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) के अधीन सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न रह चुका हो.

सक्षम प्राधिकारी.

5\. राज्य सरकार, अधिसचूना द्वारा किसी प्राधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रेट की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

कारोबार की सूचना.

6\. (1) प्रत्येक वित्तीय स्थापना जो सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में पहले से ही अपना व्यवसाय कर रही है, अधिनियम के प्रारंभ होने के दो माह के भीतर अपने कारोबार के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचना देगी.

(2) कोई भी वित्तीय स्थापना सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए, अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं करेगी.

(3) वित्तीय स्थापना, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षकीय प्राधिकारी के अधीन नियतकालिक विवरणियां अनधिक रूप से प्रेषित किए जाने के लिए अपेक्षित है.

(4) सक्षम प्राधिकारी, स्व-विवेक से किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में कारोबार करने वाली किसी भी वित्तीय स्थापना को निर्देश दे सकेगा कि वह स्थापना द्वारा प्राप्त किए गए निक्षेपकों से संबंधित या संसक्त ऐसे विवरण, जानकारी या विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों तथा ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करें जैसा कि साधारण या विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(5) जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे तीन माह तक का कारावास या रुपये पांच हजार तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा. साथ ही वित्तीय स्थापना को भी जुर्माना देना होगा जो कम से कम रुपये पच्चीस हजार होगा और अधिकतम रुपये पचास हजार तक बढ़ाया जा सकेगा.

निक्षेपों की वापसी में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्तियों की कुर्की. कुर्की के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्तियां.

7\. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो :-

(एक) निक्षेपकों या अन्य किसी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर, कि किसी वित्तीय स्थापना के कपटपूर्ण तरीके से व्यतिक्रम किया है.

(दो) ऐसी वित्तीय स्थापना द्वारा निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से, सोचे समझे तरीके से कार्य कर रही है और वह वित्तीय स्थापना निक्षेप की गई राशि को वापस नहीं करेगी. सक्षम प्राधिकारी ऐसे वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से, कोई धन या अन्य संपत्ति की, जो या तो वित्तीय स्थापना के नाम से हो या किसी अन्य व्यक्ति या स्थापना के नाम से उपाप्त की गई अभिकथित है, या यदि यह प्रगट होता है कि, ऐसा धन या अन्य संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है, या वह निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उक्त वित्तीय स्थापना या उक्त वित्तीय स्थापना के संप्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक या सदस्य की ऐसी अन्य संपत्ति भी जैसी कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, कुर्की करते हुए अंतःकालीन आदेश पारित कर सकेगा और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवा सकेगा.

(2) सक्षम प्राधिकारी कुर्की के अंतःकालीन आदेश को आत्यंतिक बनाने के लिए विशेष न्यायालय को उसके द्वारा पारित किए गए आदेश से 15 दिन के भीतर आवेदन करेगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी किसी विशेष न्यायालय या पदाभिहित न्यायालय को या किसी अन्य न्यायिक फोरम को जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के किसी धन या संपत्ति या आस्तियों अथवा दृष्यमान धन या संपत्तियों या आस्तियों के संबंध में किसी विवाद्यक या विषय का न्यायनिर्णय करने के लिए किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा किसी समरूप अधिनियमित के अधीन स्थापित या गठित या शक्तियों से न्यस्त किया गया है, यथास्थिति उक्त विशेष न्यायालय या पदाभिहित न्यायालय या न्यायिक फोरम की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित किसी वित्तीय स्थापना या व्यक्ति के किसी धन या संपत्ति या आस्तियों या दृष्यमान धन या संपत्ति या आस्तियों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित आदेश पारित करने के लिए भी आवेदन कर सकेगा.

(4) धारा 7 की उप धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय, किसी वित्तीय स्थापना के या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, उससे यह कारण दर्शाने की अपेक्षा करने की सूचना जारी करेगा कि क्यों न कुर्की के आदेश का आत्यंतिक बना दिया जाए और ऐसी सूचना के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आवेदन को भी संलग्न किया जाएगा.

(5) उपधारा (1) के अधीन कुर्क की गई संपत्ति में किसी भी प्रकार का हित या दावा रखने वाला कोई भी व्यक्ति कुर्की आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर, विशेष न्यायालय को आवेदन/आक्षेप प्राप्त होने के बाद, आवेदक और सक्षम प्राधिकारी की सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, जैसा उचित समझे, आदेश पारित करेगा.

(6) आवेदन/आक्षेप की सुनवाई के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान लागू होंगे.

(7) यदि विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व कोई कारण नहीं दर्शाया गया है और कोई आक्षेप नहीं किया गया है तो विशेष न्यायालय तुरंत कुर्की के अंतरिम आदेश को आत्यंतिक आदेश बनाते हुए एक आदेश पारित करेगा.

(8) विशेष न्यायालय अंतिम आदेश पारित करते समय कुर्की का आत्यंतिक या अंशतः आदेश दे सकेगा. इस प्रकार का आदेश देते समय विशेष न्यायालय ने कुर्क की गई संपत्ति के उस भाग को जो निक्षेपकों को प्रतिसंदाय हेतु आवश्यक हो, निर्मुक्त नहीं कर सकेगा.

(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर विशेष न्यायालय ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसे कि कुर्क की गई संपत्ति में से वसूल किए गए राशि का संवितरण निक्षेपकों को किया जावेगा.

(10) जहां किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा समरूप अधिनियमिति के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत या विनिर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा कुर्क किए गए किसी धन या संपत्ति या आस्तियों पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त किया गया है, कोई आवेदन किया जाता है, वहां विशेष न्यायालय उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा मानो कि ऐसा आवेदन इस अधिनियम के अधीन किया गया है और ऐसी अधिनियमिति के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे आवेदन पर समुचित आदेश या निर्देश पारित करेगा.

असद्भावी अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की.

8. (1) जहां धारा 7 में निर्दिष्ट की गई वित्तीय स्थापना या अन्य व्यक्ति की कुर्की के लिए उपलब्ध आस्तियां, उस राशि या मूल्य से, जिसका कि ऐसी वित्तीय स्थापना से निक्षेपकों को प्रतिसंदाय करना अपेक्षित है, कम पाई जाएं और जहां विशेष न्यायालय का शपथ पत्र पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उक्त वित्तीय स्थापना ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के

पूर्व या पश्चात् सद्‌भाव और प्रतिफल के अन्यथा किसी संपत्ति को अंतरित कर दिया है तो विशेष न्यायालय सूचना द्वारा ऐसी संपत्ति के किसी अंतरिति को चाहे उसने उक्त वित्तीय स्थापना से प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति प्राप्त की हो या नहीं, यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगा कि क्यों न अंतरिति की उतनी संपत्ति जो कि अंतरिति की संपत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य है, को कुर्क कर दिया जाए.

(2) जहां उक्त अंतिरिति विनिर्दिष्ट तारीख को उपसंजात नहीं होता है और कारण नहीं बताता है या जहां धारा 7 की उपधारा (5) ये (9) में उपबंधित रीति में अन्वेषण के पश्चात्, विशेष न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि उक्त अंतरिति को संपत्ति का अंतरण सद्‌भावपूर्ण और प्रतिफल के लिए नहीं था तो विशेष न्यायालय अंतरिति की उतनी संपत्ति की कुर्की का आदेश कर सकेगा जो विशेष न्यायालय की राय में अंतरित की गई संपत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो.

कुर्की के बदले में प्रतिभूति.

9. विशेष न्यायालय किसी वित्तीय स्थापना की ओर से या धारा (7) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की ओर से आवेदन होने पर समुचित मामले में कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की लिखित अनुज्ञा पारित कर सकेगा.

वित्तीय स्थापना द्वारा व्यतिक्रम के लिए दण्ड.

10. जहां कोई वित्तीय स्थापना कपटपूर्ण व्यतिक्रम करती है या कोई वित्तीय स्थापना निक्षेपकों को कपटवंचित करने के आशय से सुविचारित रीति से कार्य करती है तो प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें ऐसी वित्तीय स्थापना के प्रबंधन के लिए या कारोबार या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति या कोई कर्मचारी सम्मिलित है, दोष सिद्ध होने पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु इसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु इसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और ऐसी वित्तीय स्थापना ऐसे जुर्माने की भी दायी होगी जो 3 लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु इसे 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा.

जुर्माना लगाने के लिए विचारणीय तथ्य.

11. न्यायालय जुर्माना लगाए जाने वाली राशि का निर्धारण करते समय निक्षेपकों का भुगतान की जाने वाली राशि को ध्यान में रखेगा.

क्षतिपूर्ति हेतु निर्णय.

12. जब न्यायालय जुर्माना लगाए जाने का निर्णय देगा तो वह ऐसा निर्णय पारित करते समय निक्षेपकों के संपूर्ण या आंशिक दावों के एवज में सम्यक् वितरण के रूप में वसूल किए गए संपूर्ण या आंशिक जुर्माने को प्रतिकर के रूप में भुगतान किए जाने का आदेश भी पारित करेगा.

अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां.

13. अपराध का विचारण करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) में वारंट के लिए विचारण हेतु निहित की गई प्रक्रिया लागू होगी और विशेष न्यायालय विचारण के लिए मामले को उसे सुपुर्द किए बिना अपराध का संज्ञान कर सकेगा.

विशेष लोक अभियोजक.

14. राज्य सरकार, विशेष न्यायालय में मामलों के संचालन करने के प्रयोजन के लिए कम से कम 10 वर्ष की अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव रखने वाले व्यक्ति की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति कर सकेगी.

अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जावेगी.

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 438 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत मंजूर नहीं करेगा.

अपील.

16. (1) विशेष न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को की जा सकेगी.

(2) कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के पास निक्षेप दायित्व की रकम के कुल योग के पचहत्तर प्रतिशत के समतुल्य रकम जमा किए जाने का समाधानप्रद सबूत अपील के साथ संलग्न न कर दिया जाए.

नियम बनाने की शक्ति.

17. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सभी नियम यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

18. इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी या किसी अधिकारी या राज्य सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

19. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों, कोई कार्रवाई कर सकेगी.

कठिनाई के निराकरण की शक्ति.

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

[illegible] समूह और कम्पनी राशि जमा करने का व्यवसाय करते हैं, परंतु वर्तमान में जमाकर्ताओं का हित सुरक्षित नहीं है एवं जमा योजना वर्तमान में किसी प्रभावी विधि से नियमित नहीं हो रही है. इसके विधि को नियमित करने की आवश्यकता है. इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित करने का निर्णय लिया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 17-12-2005

अमर अग्रवाल
वित्त मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये 90000/- (नब्बे हजार) केवल का अतिरिक्त आवर्ती वित्तीय भार आवेगा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 के खण्ड 17 के अधीन राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वित करने के लिए नियम जो कि सामान्य स्वरूप के हैं, बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

[illegible] छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित एवं प्रकाशित [illegible]